DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Monday 13th September 2010/ Bhadrapada, 22, 1932(Saka)

No. 91

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Addl. Commissioner of Police, Crime, Delhi.

"I have the honour to inform you that Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi; Shri Anil Jha had stopped Avadh Assam Express Train on the down line at Rohatak-Delhi route near Prem Nagar Crossing, Nangloi, Delhi on 05/07/2010 during Bharat Bandh. A case vide FIR No.19/10 dated 10.07.2010 u/s 147 IPC & 146/174 Railway Act, PS Sarain Rohilla Railway Station, Delhi was registered against him. On 26.08.2010 Shri Anil Jha S/o Shri Anand Mohan Jha r/o H.No.719, Inder Enclave, Block-D, Phase-I, Suleman Nagar, Delhi was arrested in above quoted case and released on bail."

P.N. Mishra Secretary

दिल्ली विधान सभा सचिवालय समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी सोमवार, 13 सितम्बर 2010 / भाद्रपद 22, 1932 (शक)

संख्या-91

सदस्य की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, काइम ब्रांच

दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

"मुझे आपको ससम्मान यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री अनिल झा ने दिनॉक 05.07.2010 को भारत बन्द के दौरान रोहतक दिल्ली फट पर अवध आसाम एक्सप्रेस देन को प्रेम नगर कासिंग, नांगलोई, दिल्ली पर रोका था। उनके विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 147 और रेलवे एक्ट की धारा 146/174 अंतंगत मामला एफआईआर संख्या 19/10 दिनॉक 10.07.2010 को पुलिस थाना सराय रोहिला रेलवे स्टेशन दिल्ली में पंजीकृत किया गया। श्री अनिल झा पुत्र श्री आनन्द मोहन झा, निवासी मकान न. 719, इन्द्र इन्कलेव, ब्लाक डी फेस—1, सुलेमान नगर, दिल्ली, दिनॉक 26.08.2010 को उक्त मामले में गिरफ्तार किया गया और जमानत पर रिहा कर दिया गया।

पी.एन.मिश्रा सचिव